

# शिनाडु पुलिस की पहल

# अकेली महिलाओं की घर तक

किसी खास जगह जाने के थाने को फोन करती है तो मदद के लिए उस जगह पर तुरंत पड़ने पर महिला एक पुलिस वाहन उसे घर पर छोड़ेगा।

कहा कि नागपुर में कामकाजी ब्या बढ़ रही है और उनके बहुत मददगार होगी। वहीं, शिनाडु के डीजीपी जेके त्रिपाठी ने फंसी महिलाओं, बच्चों, ग जनों का फोन आने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगा कहा कि हैदराबाद की जा को तेजी से प्रतिक्रिया देने

के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और संकट की सूचना वाले फोन पर तुरंत कार्रवाई का स्मरण कराती है। पुलिस आयुक्तों, अधीक्षकों समेत अधिकारियों को भेजे परिपत्र में उन्होंने संकट में घिरी महिलाओं को बचाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की सलाह दी।

त्रिपाठी ने कहा कि अधिकारियों को फोन, एसएमएस या मदद की मांग वाली सूचना पर तुरंत कार्रवाई के बारे में उनके मातहत पुलिसकर्मियों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट में घिरी महिला की सूचना से संबंधित हर मामले में पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से तुरंत प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए और अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

# हत्या का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को बताया कि बालिका जब पुल के नीचे अपने माता-पिता के साथ सो रही थी तब उसने लड़की को उठाया और फिर उसे सुनसान बंगले में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कपूर ने आरोपी के हवाले से बताया कि जब लड़की दर्द के कारण जोर से रोने लगी तो आरोपी ने उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। एडीजीपी ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर लगे दो कैमरों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

## HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

B-2/8 SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI-110029  
CIN: L74899DL1989PLC031191, Tel No. 011-41650348

### NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported to be lost/misplaced and the registered holders/claimants therefore have requested the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s):

Folio No.	Name of Shareholders	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos. From - To
0009925	B NAGABHUSHANA	6959	100	4219601-4219700
		15114	100	5035101-5035200
		15961-15964	400	3787201-3787600

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s) should lodge the claim in writing with us at B-2/8 Safdarjung Enclave New Delhi-110029 within 15 days from the publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuant to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rule 2014.

For Hindustan Adhesives Limited

Place : New Delhi  
Dated : 04.12.2019

Sd/-  
M.S. Bagla  
Managing Director (DIN-01425646)

# हैदराबाद बलात्कार मामला

# जल्द सुनवाई के लिए त्वरित अदालत गठित

हैदराबाद, 4 दिसंबर (भाषा)।

तेलंगाना सरकार ने बुधवार को महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिए त्वरित अदालत गठित करने का आदेश दिया। हैदराबाद के बाहरी हिस्से में नवंबर में यह जघन्य घटना हुई थी। सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए महबूबनगर जिले में प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित किया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए त्वरित अदालत के गठन की घोषणा की थी। हैदराबाद की महिला डाक्टर का जला हुआ शव 28 नवंबर की सुबह एक पुलिसिया के नीचे से बरामद किया गया था। उसकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में चार आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

# समस्तीपुर में महिला का अधजला शव बरामद

समस्तीपुर, 4 दिसंबर (भाषा)।

बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना अंतर्गत गोही पंचायत के दरदरी चौड़ से पुलिस ने बुधवार सुबह महिला का अधजला शव बरामद किया। वारिसनगर थाना प्रभारी प्रसुंजय कुमार ने बताया कि मृतका की तत्काल शिनाख्त नहीं हो पाई है। उन्होंने संदेह जताया कि महिला की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और पहचान छिपाने के लिए उसके शव को दरदरी चौड़ में लाकर ठिकाना लगाने की कोशिश की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

## मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नौ/4/1, रजौरीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052  
ईमेल आईडी: bgoyal@mindaagroup.com CIN No.: U34300DL2003PLC121344

ऑर्डर नं. डार्डिनसी-28

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]  
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवर्तन करने के लिए सभावार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, उत्तरवीं क्षेत्र, क्षेत्रीय निदेशक  
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), जोर कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(ए) के मामलों में

मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नौ/4/1, रजौरीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 में है, के मामले में

.....वाचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली की धाराओं से हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए नूतनवार, 14 नवंबर, 2019 को दोषावर 04:30 बजे कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, बिल्डिंग नयादा, फतेहपुर, पी.ओ. शिकंदरपुर बल्ड, मानेश्वर, नूतनवार, नूतनवार-122004 में अव्यक्ति असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम विधान में संशोधन की पुष्टि की गयी है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होगा है तो वह व्यक्ति या तो यह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या राष्ट्रपत्र विभाग उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (आरडी), बी-2 बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पश्चिम नवन, सीजीडी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजी जानी चाहिए-  
पंजीकृत कार्यालय नौ/4/1, रजौरीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

कुंठे और मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड की ओर से

बस्वरा / -